(43)

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

कमांक एफ 27 – 58 / 2008 / बीस–2 भोपाल दिनांक 27–09–2008

प्रति,

आयुक्त,
लोक शिक्षण,
भोपाल,

विषय :– सुदामा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना ।

––00––

राज्य शासन, एतद्द्वारा, प्रदेश के सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र–छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु निर्धन छात्र वृत्ति योजना लागू की गई है उक्त योजना के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं और 10 वीं में अध्ययनरत नियमित छात्र – छात्राओं जिनके परिवार की वार्षिक आय राशि रूपयें 54,000/– से अधिक न ऐसे हो, छात्र को राशि रूपयें 300/– (तीन सौ केवल) प्रतिवर्ष तथा छात्राओं को राशि रूपयें 400/– (चार सौ केवल) प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

उक्त राशि मांग संख्या 77 लेखा शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा के आयोजना मद कमांक – 8 के अंतर्गत विकलनीय होगी ।

यह स्वीकृति बुक आफ फाइनेंशियल पावर 1995 के सेक्सन III नियम –3 के प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत जारी की जाती है ।

म0प्र0 राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
25/9/08
(एस0के0 दाण्डे)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0 कमांक एफ 27 -58/2008/बीस–2 भोपाल दिनांक 27-09–2008

प्रतिलिपि :–

1, प्रमुख सचिव,म0प्र0 शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
2, प्रमुख सचिव,म0प्र0 शासन आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल,
3, सचिव,म0प्र0 शासन वित्त विभाग एवं सदस्य स्थाई वित्त समिति मंत्रालय,
4, महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर,
5, सलाहकार, राज्य योजना आयोग,म0प्र0 भोपाल
6 आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

27/9/08

अवर सचिव
म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,

सुदामा प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना

योजना का उद्देश्य

- सामान्य वर्ग के निर्धन विद्यार्थियो की शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना

योजना का क्षेत्र

- संपूर्ण म.प्र. के शासकीय हाई स्कूल/हायरसेकेण्ड्री विद्यालय।

छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए योग्यताएं

- छात्र या छात्रा शासकीय शाला के कक्षा 9 अथवा 10 में नियमित विद्यार्थी हो।
- सामान्य वर्ग का ऐसा विद्यार्थी हो, जिसके परिवार की वार्षिक आय रू. 54000 से अधिक न हो।

छात्रवृत्ति की राशि

- सामान्य निर्धन वर्ग की बालिकाओं को रू. 400 वार्षिक (रूपये 40 प्रतिमाह कुल 10 माह हेतु)
- सामान्य निर्धन वर्ग की बालकों को रू. 300 वार्षिक (रूपये 30 प्रतिमाह कुल 10 माह हेतु)

छात्रवृत्ति प्रदाय की प्रकिया

- छात्रवृत्ति के लिए संबंधित विद्यार्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया जाएगा। आवेदन का प्रपत्र शाला द्वारा विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
- आवेदन के साथ सक्षम अधिकारी का आय प्रमाणपत्र लगाना होगा। BPL सूची में नाम होने का प्रमाण पत्र दिये जाने पर आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा। वेतन भोगी अधिकारी/कर्मचारी अभिभावकों के लिए आहरण संवितरण अधिकारी का आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- संबंधित विद्यार्थी द्वारा आवेदन शाला प्रमुख के पास प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक जमा किए जा सकेंगें।
- शाला के शिक्षक द्वारा 20 अक्टूबर तक पात्र विद्यार्थियों का फॉर्म भरवाकर, फॉर्म एवं संकलित जानकारी संकुल प्राचार्य को 25 अक्टूबर तक उपलब्ध कराई जाएगी।
- यह जानकारी संबंधित संकुल प्राचार्य द्वारा 27 अक्टूबर तक जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी 30 अक्टूबर तक संकलित जानकारी आयुक्त, लोक शिक्षण को उपलब्ध कराएंगें।
- राज्य स्तर से छात्रवृत्ति की राशि अनुमान के आधार पर प्रति वर्ष जिले को 15 नवम्बर तक उपलब्ध कराई जाएगी तथा अतिरिक्त आवश्यकता होने पर एवं मांग के अनुरूप राशि 30 नवम्बर तक जारी की जायेगी।
- जिले द्वारा पालक शिक्षक संघ के खाते में आवश्यक राशि 20 नवम्बर तक प्रदान की जाएगी।

- पालक शिक्षक संघ द्वारा पात्र विद्यार्थियों को 31 जनवरी तक छात्रवृत्ति का वितरण एक मुश्त किया जाएगा।
- वितरण कार्यक्रम समारोह पूर्वक किया जाएगा तथा इसमें ग्राम के जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों बच्चों के माता पिता को आमंत्रित किया जाएगा। वितरण करने वाले अधिकारी को छात्रवृत्ति भुगतान के पश्चात जिन व्यक्तियों के सामने भुगतान किया गया हो उनसे वितरण पत्रक पर प्रमाणित करा लेना आवश्यक है कि छात्रवृत्ति पूर्ण वितरित की गई है।
- वितरित छात्रवृत्ति की जानकारी प्रति वर्ष 15 फरवरी तक जिले को उपलब्ध कराई जाएगी।
- छात्रवृत्ति प्रदान करते वक्त यह देखा जाएगा कि संबंधित विद्यार्थी की प्रतिमाह तक कम से कम 75% दिवस (शासकीय अवकाश घटाकर) शाला में उपस्थिति रही हो। **अन्यथा** 75% से कम उपस्थिति पर छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाएगी तथा संबंधित विद्यार्थी की राशि जिला शिक्षा अधिकारी को वापस की जाएगी। यदि फॉर्म भरने के बाद छात्रवृत्ति वितरण के पूर्व कोई छात्र शाला छोड देता है तो उसकी राशि भी जिला शिक्षा अधिकारी को वापस की जाएगी।
- यदि छात्रवृत्ति स्वीकृति के बाद किसी स्तर पर यह सिद्ध पाया जाता है कि वह छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं था तो छात्रवृत्ति स्वीकृत आदेश निरस्त कर दिया जाएगा और दी गई छात्रवृत्ति की धनराशिं वसूल की जाएगी।
- छात्रवृत्ति स्वीकृत करने का अधिकार संबंधित शाला के प्राचार्य को होगा।
- छात्रवृत्ति की पात्रता विद्यार्थी को वर्ष में अधिकंतम केवल 10 माह के लिए (अकादमिक सत्र के लिए) होगी। यदि विद्यार्थी द्वारा 30 जुलाई के बाद प्रवेश लिया जाता है तो अकादमिक सत्र की अवधि के अनुपात में राशि स्वीकृत की जाएगी।
- शासकीय आवासीय विद्यालयों में रहने वाले सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाएगी।

क्रियान्वयन की मुख्य इकाईयॉ

- शाला स्तर पर – प्राचार्य, पालक शिक्षक संघ
- संकुल स्तर पर – संकुल प्राचार्य
- जनपद स्तर पर – जनपद शिक्षा केन्द्र – विकासखंड शिक्षा अधिकारी
- जिला स्तर पर –जिला शिक्षा अधिकारी
- राज्य स्तर पर – आयुक्त लोक शिक्षण कार्यालय